



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13520

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1583/2026

आवेदक: अमरजीत विश्वकर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील: मनोज त्रिपाठी, संतोष कुमार सिंह पालीवाल यादव

प्रतिवादी के वकील: शासकीय अधिवक्ता, राजीव कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक के वकील श्री मनोज त्रिपाठी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्री विपिन कुमार सिंह, सूचना देने वाले के वकील श्री राजीव कुमार सिंह एवं राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अपराध संख्या 541/2025, धारा 191(2), 109, 117(2), 131, 351(2), 103(1), 115(2), 352 बी.एन.एस., पुलिस थाना - साहजनवा, जिला - गोरखपुर में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।

अभियोजन कथा:

4. बताया गया कि आवेदक अपने पांच अन्य नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ चार व्यक्तियों पर हमला करने और उन्हें चोट पहुँचाने का आरोपी है, जिसमें एक राजत सिंह की मृत्यु हो गई। घटना दिनांक 11.10.2025 को लगभग 10:30 पूर्वाह्न हुई, जिसमें तीन अन्य घायल व्यक्ति सोनू, मोनू और चंदू हैं।

आवेदक के पक्ष से तर्क:

5. आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और झूठे आरोप में फंसाया गया है। उसका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। FIR लगभग छह घंटे बाद दर्ज की गई और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

6. सभी आरोपियों के विरुद्ध सामान्य और समग्र आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आवेदक भी शामिल है।

7. तीन घायल व्यक्तियों में से दो ने आवेदक और सह-आरोपी राजू पासवान को हमले का जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तीसरे घायल व्यक्ति ने सभी आरोपियों के विरुद्ध सामान्य और समग्र आरोप लगाए।

8. इस मामले में विरोधाभासी विवरण है क्योंकि आवेदक की ओर से दो व्यक्तियों, इन्द्रेश और कार्तिक, को भी चोटें लगी हैं और उनके चोट लगने की कोई व्याख्या नहीं दी गई।

9. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 12.10.2025 से जेल में बंद है और अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुनवाई में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/प्रतिवादी के पक्ष से तर्क:

10. जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया, यह कहते हुए कि आवेदक की ओर से दो व्यक्तियों को लगी चोटें निर्मित हैं क्योंकि चिकित्सा जांच 12.10.2025 की शाम को की गई थी, यानी घटना के एक दिन बाद, इसलिए उक्त चोटों को ध्यान में नहीं लिया जा सकता।
11. आवेदक मुख्य आरोपियों में से एक है जिसने मृतक को चोट पहुँचाई। यह तथ्य घायल व्यक्तियों सोनू और मोनू के बयानों से पुष्ट होता है।
12. दो नेत्रीगवाहों, परमिंदर सिंह और आनंद सिंह ने भी आवेदक और सह-आरोपी राजू पासवान को मृतक पर हमला करने और उसकी हत्या करने का जिम्मेदार बताया है।
13. मृतक के खोपड़ी पर 39 टाँके लगे हुए थे, इसलिए यह गंभीर प्रकृति का मामला है।

निष्कर्ष:

14. "दोष सिद्ध होने तक निर्दोष होने की धारणा" का प्रसिद्ध सिद्धांत जमानत की अवधारणा को जन्म देता है और जेल को अपवाद मानता है।
15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि व्यक्ति पर अपराध सिद्ध न हो। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी का जीवन या स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस सिद्धांत की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 में की है।

16. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595 में पुनः स्पष्ट किया कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। यह समय है कि न्यायालय यह मान्यता दे कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद।"

17. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य के विधि अधिकारी ने कोई असाधारण परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं कीं, जो आवेदक को जमानत देने से रोकती हों।

18. मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें, अभिलेख और यह तथ्य कि आवेदक की ओर से दो व्यक्तियों, इन्द्रेश और कार्तिक, को भी चोटें लगी हैं, को ध्यान में रखते हुए, और मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

19. आवेदक - अमरजीत विश्वकर्मा, जो उक्त मामले में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

20. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।